भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †2515
सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

चिकित्सा और कल्याण पर्यटन को बढ़ावा

†2515. डॉ. सी. एन. मंजूनाथः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारत के चिकित्सा और कल्याण पर्यटन क्षेत्र के वर्तमान विस्तार और आर्थिक योगदान का आकलन किया है;

(ख) क्या किसी एकीकृत राष्ट्रीय ब्रांड के तहत मान्यता प्राप्त सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों और पारंपरिक आयुष आधारित कल्याण केंद्रों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए कोई रूपरेखा मौजूद है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार चिकित्सा और कल्याण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय के साथ नियामक मानकों, वीज़ा सहायता और अंतरराष्ट्रीय विपणन को सुव्यवस्थित करने के लिए समन्वय कर रही है;

(घ) क्या सरकार की प्रमुख क्षेत्रों जैसे बेंगलुरु, कोची, गुरुग्राम, वाराणसी और ऋषिकेश में समेकित अवसंरचना के साथ समर्पित चिकित्सा और कल्याण पर्यटन हब विकसित करने की योजना है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (ङ): पर्यटक स्थलों एवं उत्पादों का विकास एवं संवर्धन, जिसमें चिकित्सा पर्यटन भी शामिल है, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। मंत्रालय विभिन्न पहलों के माध्यम से देश के विभिन्न पर्यटन उत्पादों, जिसमें चिकित्सा और निरोगता पर्यटन भी शामिल है, का संवर्धन करता है।

पर्यटन मंत्रालय भारत के चिकित्सा और निरोगता पर्यटन क्षेत्र के आर्थिक योगदान का डेटा नहीं रखता है।

पर्यटन मंत्रालय में मान्यता प्राप्त सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों और पारंपरिक आयुष-आधारित निरोगता केन्द्रों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय ब्रांड बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (एनएबीएच) अस्पतालों, निरोगता केन्द्रों, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए मान्यता प्रदान करता है और चिकित्सा वैल्यू संबंधी यात्रा सुविधाप्रदाताओं को पैनल में शामिल होने की सुविधा देता है।

वाणिज्य मंत्रालय के तहत सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी) ने एक पूरी वेबसाइट http://www.indiahealthcaretourism.com बनाई है, जो मान्यता प्राप्त अस्पतालों और निरोगता केन्द्रों, वीज़ा, सवास्थ्य देखभाल सुविधाप्रदाताओं वगैरह के बारे में जानकारी देती है। पर्यटन मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस पोर्टल का लिंक दिया है।

पर्यटन मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र की अपनी योजनाओं, अर्थात 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' के माध्यम से देश में पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता देता है। यह केंद्रीय वित्तीय सहायता राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को दिशा-निर्देशों के अनुसार उनसे प्राप्त प्रस्तावों/विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के आधार पर दी जाती है।

****